



KANNADA SANGHA AND EDUCATION OFFICER (SECONDARY) Z.P. PUNE

DR KALMADI SHAMRAO HIGH SCHOOL SECONDARY SECTI S NO 36 ERANDAWANA GANESHNAGAR ROAD PUNE 411038 INDIA		सावधि खाता क्र./ FD A/c No	38610300039888
		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR1306233041
		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	064838033
		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	38610100000293
		शाखा का नाम/Branch Name	KARVENAGARPUNE MAH.
योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - QIP (RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	AAATK1027H		
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	AUTHORISED SIGNATORY		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
1000000	12-06-2023	7.05	36 Months 0 Days	12-06-2026	1000000

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है	1. Rate of Interest is in percentage per annum
2. स्वतः नवीकरण बरतें	2. Automatic Renewal Clause i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
3. कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा।	3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only
4. फॉर्म 15 जी और 15एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है।	4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, falling which TDS will be deducted.
5. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/ 15 एच/ 15 एए (जैसे लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा सीमा पर कर कटौती की जाएगी।	5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
6. फॉर्म एक केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा।	6. Premature Withdrawal Clause i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
7. परिपक्वता आहरण बरतें	7. In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed
8. रु. 1 करोड़ से कम की जमा राशियों को समग्रपूर्व बंद करने पर 1% दंड का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि के जारी होने की तिथि पर लागू कार्ड दर से 1% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा।	
9. रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशियों को समग्रपूर्व बंद करने पर 1.5% दंड का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि पर बैंक में रखी जाने वाली अवधि के लिए लागू कार्ड दर से 1.5% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा। रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि के समग्र पूर्व आहरण के लिए, जमा राशि के आहरण से कम से कम 31 दिन पहले बैंक को सूचना दी जानी चाहिए।	
10. नैर प्रतिवेद्य जमा के अंतर्गत - परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति नहीं है।	

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature